न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर।
परिवाद पत्र संख्या :–72/2023
आदेश

16.06.2023 परिवादिनी ललीता देवी की ओर से उपस्थिति पत्र दाखिल किया गया अभिलेख आदेश हेतु नियत है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि परिवादिनी ने अभियुक्तगण विष्णु कुमार, केशो चौहान, लखमुन्ना देवी, कृष्णा चौहान, चंदा देवी, शिव चौहान, देव चौहान, सरिता देवी एवं शांति देवी के विरूद्ध परिवाद पत्र लाया है। परिवादिनी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पर बयान के अतिरिक्त तीन जॉच साक्षी 1. तारा देवी, 2. शांति देवी एवं 3. आशा देवी का जॉच परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया है । परिवाद पत्र, परिवादिनी का शपथ पर बयान एवं जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन से परिवाद पत्र में उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण में से अभियुक्त 1 विष्णु कुमार, 2. केशो चौहान एवं 3. लखमुन्ना देवी के विरूद्ध अंतर्गत धारा 498(A) भा0द0सं0 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है । अन्य अभियुक्तगण एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत कोई मामला बनता प्रतीत नही होता है ।

अतः उपरोक्त अभियुक्त 1 विष्णु कुमार, 2. केशो चौहान एवं 3. लखमुन्ना देवी के विरूद्ध उपरोक्त धारा के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है तथा उन्हें विचारण हेतु आहुत किया जाता है ।

परिवादिनी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षिकाएँ दिनांकः–15–07–2023 वास्ते दाखिल करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।